

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2009—कार्तिक 26, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.—छ. ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रा. त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक --(1)--	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (2001) (3)
1.	आमासिवनी	2142
2.	कचना	4081
3.	जोरा	3968
4.	देवपुरी	3930
5.	डूबरतगाई	3205
6.	बोरियाखुर्द	3218
7.	इंडा	2952

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, रायपुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

राजस्व ग्राम आमासिवनी, कचना, जोरा, देवपुरी, डूमरतराई, बोरियाखुर्द, डून्डा एवं नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यापक उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर रायपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Raipur, the 17th November 2009

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the boundry of Municipal Corporation Raipur signify their intention to constitute a Municipal corporation Raipur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are includes in the boundaries of Municipal Corporation, Raipur is as under :—

S. No.	Name of Gram/Gram Panchayat	Population (2001)
(1)	(2)	(3)
1.	Amasivni	2142
2.	Kachna	4081
3.	Zora	3968
4.	Devpuri	3930
5.	Doomartarai	3205
6.	Boriakhurd	3218
7.	Dunda	2952

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raipur is as below :—

The boundaries of Municipal Corporation, Raipur shall include the boundaries of existing revenue Gram Panchayat Amasivni, Kachna, Zora, Devpuri, Doomartarai, Boriakhurd, Dunda and Municipal Corporation, Raipur.

Any Person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector District Raipur on any official day and time within 30 days from the date of Publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.—छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, बिलासपुर की सीमा में सम्मिलित करने का अधिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पालिक निगम, बिलासपुर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत (2)
1.	मंगला
2.	कोनी
3.	बिरकोना
4.	खमतराई
5.	बहताराई
6.	बिजौर
7.	लिंगियाडीह
8.	मोपका
9.	देवरीखुर्द
10.	दोमुहानी
11.	महमद
12.	बनाकडीह
13.	परसदा
14.	धुरू
15.	अमेरी
16.	उस्लापुर

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, बिलासपुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत मंगला, कोनी, बिरकोना, खमतराई, बहताराई, बिजौर, लिंगियाडीह, मोपका, देवरीखुर्द, दोमुहानी, महमद, बनाकडीह, परसदा, धुरू, अमेरी, उस्लापुर एवं नगर पालिक निगम, बिलासपुर की सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिक निगम, बिलासपुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर बिलासपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 17th November 2009

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation Bilaspur signify their intention to constitute a Municipal Corporation Bilaspur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the gram/gram Panchayat which are includes in the boundaries of Municipal corporation, Bilaspur is as under.

S. No. (1)	Name of gram/gram Panchayat (2)
1.	Mangla
2.	Koni
3.	Birkona
4.	Khamtarai
5.	Bahtarai
6.	Bijor
7.	Lingiyadeeh
8.	Mopka
9.	Devrikhurd
10.	Domuhani
11.	Mahmand
12.	Banakdeeh
13.	Parsada
14.	Ghuru
15.	Ameri
16.	Uslapur

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Bilaspur is as below :-

The boundaries of Municipal Corporation, Bilaspur shall include the boundaries of existing revenue Gram Panchayat, Mangla, Koni, Birkona, Khamtarai, Bahtarai, Bijor, Lingiyadeeh, Mopka, Devrikhurd, Domuhani, Mahmand, Banakdeeh, Parsada, Ghuru, Ameri, Uslapur and Municipal Corporation, Bilaspur

Any Person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector District Bilaspur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.—छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायपुर

की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत (2)	जनसंख्या (3)
1.	भगवानपुर	1467
2.	गोरखा	1063
3.	सराईपाली	619
4.	छातामुड़ा	2200
5.	सहदेवपाली	1040
6.	बोईरदादर	2462
7.	विजयपुर	1093
8.	गोवर्धनपुर	501
9.	उर्दना	2659
10.	अमलीभौना	483
11.	बड़े अतरमुड़ा	546
12.	पतरापाली	3352

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

राजस्व ग्राम भगवानपुर, गोरखा, सराईपाली, छातामुड़ा, सहदेवपाली, बोईरदादर, विजयपुर, गोवर्धनपुर, उर्दना, अमलीभौना, बड़े अतरमुड़ा, पतरापाली एवं नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं होगी।

उपरोक्त आशय के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर रायगढ़ को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Raipur, the 17th November 2009

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation Raigarh signify their intention to constitute a Municipal Corporation Raigarh

as given in the following schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the gram/gram Panchayat which are includes in the boundaries of Municipal Corporation, Raigarh is as under.

S.No.	Name of gram/gram Panchayat	Population (2001)
(1)	(2)	(3)
1.	Bhagwanpur	1467
2.	Gorkha	1063
3.	Saraipali	619
4.	Chatamuda	2200
5.	Sahadevpali	1040
6.	Boirdadar	2462
7.	Vijaypur	1093
8.	Gowardhanpur	501
9.	Urdana	2659
10.	Amlibhawna	483
11.	Badeatarmuda	546
12.	Patrapali	3352

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh is as below :-

The boundaries of Municipal Corporation, Raigarh shall include the boundaries of existing revenue Gram Panchayat, Bhagwanpur, Gorkha, Saraipali, Chatamuda, Sahdevpali, Boirdadar, Vijaypur, Gowardhanpur, Urdana, Amlibhawna, Badeatarmuda, Patrapali and Municipal Corporation, Raigarh.

Any Person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector District Raigarh on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intension in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009. — राज्य शासन एतद्वारा छ. न. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिक निगम अम्बिकापुर की सीमा में निर्माकित ग्राम/ग्राम पंचायत को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत (2)	जनसंख्या (2001) (3)
1.	नवागढ़	3084
2.	गंगापुर	1159
3.	बिशुनपुर	712
4.	भगवानपुर कला	2500

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

राजस्व ग्राम नवागढ़, गंगापुर, बिशुनपुर, भगवानपुर कला एवं नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं होगी।

उपरोक्त आशय के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यापक उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर अम्बिकापुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Raipur, the 17th November 2009

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation Ambikapur signify their intention to constitute a Municipal Corporation, Ambikapur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the gram/gram Panchayat which are included in the boundaries of Municipal corporation, Ambikapur is as under.

S. No. (1)	Name of gram/gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Navagarh	3084
2.	Gangapur	1159
3.	Bisunpur	712
4.	Bhagwanpurkala	2500

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur is as below :-

The boundaries of Municipal Corporation, Ambikapur shall include the boundaries of existing revenue Gram Panchayat Navagarh, Gangapur, Bisunpur, Bhagwanpurkala and Municipal Corporation, Ambikapur.

Any Person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector District Ambikapur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.